

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 2 नवंबर 2022 को अपराह्न 2:00 बजे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा] की केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा गठित उप-समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

रेरा की केंद्रीय सलाहकार परिषद (सीएसी) द्वारा गठित उप-समिति की पहली बैठक 2 नवंबर 2022 को अपराह्न 2:00 बजे श्री मनोज जोशी, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2. बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए, आर्थिक सलाहकार (आवास) ने बताया कि आज की बैठक में 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक में तय किए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और उसी की स्थिति बैठक के प्रतिभागियों के बीच साझा की जाएगी और सदस्य इन पर अपने सुझाव/टिप्पणियां दे सकते हैं। तदनुसार, कार्रवाई योग्य बिंदुओं की बिंदुवार स्थिति साझा की गई:

क्र. सं.	सीएसी की तीसरी बैठक में निश्चित किए गए कार्यवाही बिंदु	की गई कार्यवाही /वर्तमान स्थिति
i.	केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए।	सीएसी की अगली बैठक 2023 की पहली तिमाही में रखी जाएगी।
ii.	पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्यों में रera के कार्यान्वयन के मुद्दे उठाने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों, घर खरीदारों और बिल्डरों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जाए।	मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्यों में रera के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया है। इन राज्यों को नियामक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण के शीघ्र गठन के लिए सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया था। आर्थिक सलाहकार (आवास), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ घर खरीदार संघठन के 2 प्रतिनिधियों श्री अभय उपाध्याय और श्री रतुल मजूमदार, सदस्य एफपीसीई ने 8 सितंबर, 2022 को अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव (आवास) ने बताया कि रera

		<p>के तहत नियमों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और रेरा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी।</p> <p>इस संबंध में, फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) के अध्यक्ष श्री अभय उपाध्याय ने कहा कि अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा पश्चिम बंगाल के रेरा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, पश्चिम बंगाल के लिए नियामक प्राधिकरण और अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र करने के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जाए।</p> <p>आर्थिक सलाहकार (आवास) ने सूचित किया कि तेलंगाना राज्य की यात्रा की योजना बनाई जा रही है और उन्होंने श्री अभय उपाध्याय और एक अन्य प्रतिनिधि को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया।</p>
iii.	<p>एक समिति (जिसमें घर खरीददार, डेवलपर्स के प्रतिनिधि हों) विभिन्न मामलों की जांच कर सकती है, जिनके लिए नियामक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया गया है और उसके बाद राज्य सरकारों से इस संबंध में अपना इनपुट देने का अनुरोध किया जा सकता है।</p>	<p>मंत्रालय ने आदेशों का पालन न करने के मुद्दे की जांच करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए 6 भू संपदा नियामक प्राधिकरणों के अध्यक्षों को पत्र लिखा था।</p> <p>तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनकी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में जांच की जा रही है। शेष राज्यों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।</p> <p>डेवलपर्स/बिल्डरों से बकाये की वसूली नहीं होने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की राय दी कि यह सुनिश्चित करने के</p>

		<p>लिए कि नियामक प्राधिकरणों द्वारा आदेशित धन-वापसी/मुआवजे वास्तव में डेवलपर्स/बिल्डरों द्वारा घर खरीदारों को भुगतान किए जाते हैं, रेरा के तहत वसूली तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p> <p>इस संबंध में श्री अभय उपाध्याय, अध्यक्ष (एफपीसीई) ने सुझाव दिया कि प्रत्येक नियामक प्राधिकरण में एक रिकवरी अधिकारी को शामिल किया जा सकता है।</p> <p>सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक भू संपदा नियामक प्राधिकरण के डेटा का अध्ययन करने का सुझाव दिया जिसमें रेरा द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद वसूली नहीं की गई है। सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में अध्ययन करने के लिए एक छोटा समूह बनाने के एफपीसीई के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।</p>
iv.	<p>अपने भवन के संरचनात्मक ऑडिट के प्रमाणीकरण के लिए बिल्डर की जिम्मेदारी डेवलपर्स एसोसिएशन को सलाह दी गई कि वे बिल्डरों के स्वैच्छिक प्रमाणन/रेटिंग के संदर्भ में विचार-विमर्श करें, जो घर खरीददारों के लिए मददगार होगा।</p>	<p>मंत्रालय ने क्रेडाई और नारेडको को पत्र लिखकर बिल्डरों के स्वैच्छिक प्रमाणन/रेटिंग पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया था।</p> <p>श्री राजन बंदेलकर, अध्यक्ष, नारेडको ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में संरचनात्मक डिजाइन कंसल्टेंट्स द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र तिमाही आधार पर बिल्डर द्वारा जमा किया जाना होता है।</p> <p>श्री हितेश कुमार एस मकवाना, प्रधान सचिव (आवास) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि तमिलनाडु संयुक्त</p>

		<p>विकास और भवन नियमों के अनुसार भवनों की ऊंचाई के अनुसार संरचनात्मक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।</p> <p>सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सुझाव दिया कि नियामक प्राधिकरण कुछ सरकारी संस्थानों को सूचीबद्ध कर सकता है जो संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।</p> <p>विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु और गुजरात राज्यों द्वारा अपनाई गई संरचनात्मक प्रमाणन प्रणाली का अन्य राज्यों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त प्रावधानों को भवन उपनियमों में शामिल किया जा सकता है।</p>
v.	<p>सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक छोटा समूह 6 महीने में एक बार बैठक करेगा और प्रगति पर चर्चा करने के लिए सीएसी की एक नियमित बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।</p>	<p>यह सूचित किया गया कि सीएसी की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उप-समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।</p>
vi.	<p>रेरा में निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा के प्रावधानों को शामिल किया जाना।</p> <p>यह निर्णय लिया गया कि सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी (सीबीओसीडब्ल्यू) उप-समिति की पहली बैठक में एक प्रस्तुति देगी।</p>	<p>बैठक में सीबीओसीडब्ल्यू का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसलिए, इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श नहीं किया जा सका।</p>
vii.	<p>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित नियमों में रera के प्रावधानों को कमजोर करना।</p>	<p>विभिन्न राज्यों द्वारा रera के प्रावधानों को कमजोर करने का मुद्दा इस मंत्रालय में पहले से ही विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने</p>

		<p>'एग््रीमेंट फोर सेल (एएफएस) रूल्स' के संबंध में विस्तृत कार्य किया और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को दिया गया। इसके अलावा, यह देखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 2 राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ भेज दी हैं। सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर, 2022 है।</p> <p>सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामान्य नियमों की तत्काल तुलना की जा सकती है।</p>
viii.	सभी प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रेरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.	<p>श्री राजन बंदेलकर, अध्यक्ष, नारेडको ने बताया कि दिल्ली में संभवतः जनवरी, 2023 में रेरा कॉन्क्लेव आयोजित करने का प्रस्ताव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।</p> <p>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रस्ताव की जांच करेगा और तदनुसार नारेडको को सूचित करेगा।</p>
ix.	काफी समय से रुकी हुई पुरानी परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों की समग्र रूप से जांच करने और इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन	यह बताया गया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।
x.	नियामक प्राधिकरणों द्वारा परियोजनाओं, बिल्डिंग आदि के बुनियादी विवरण प्रदान करने वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	<p>यह बताया गया कि सभी नियामक प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मॉडल प्रारूप के साथ पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।</p> <p>इसके अलावा, यह देखा गया है कि कुछ</p>

		<p>राज्यों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रारूप को पहले ही शामिल कर लिया है और शेष राज्य भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसे शामिल कर सकते हैं।</p> <p>आर्थिक सलाहकार (आवास) ने आगे बताया कि मंत्रालय एफपीसीई के साथ नियामक प्राधिकरणों को भेजे गए पत्र साझा करेगा।</p>
xi.	<p>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भू संपदा एजेंटों के लिए 'वन नेशन वन लाइसेंस'।</p>	<p>मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।</p> <p>श्री रवि वर्मा, अध्यक्ष, एनएआर-इंडिया ने भू संपदा एजेंटों, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर के एजेंटों के सामने कार्य करने के लिए कई लाइसेंस लेने के मुद्दे पर प्रकाश डाला।</p> <p>यह देखा गया कि भू संपदा एजेंटों के लिए 'वन नेशन वन लाइसेंस' को लागू करने के लिए; अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एनएआर-इंडिया को इस संबंध में कानूनी राय लेने की सलाह दी।</p>
xii.	<p>पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थानीय निकायों द्वारा परियोजनाओं के लाइसेंस रद्द करने के मुद्दे के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाने के लिए फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एफएओए) द्वारा ब्यौरा प्रदान किया जाए।</p>	<p>सुश्री रितु, एफएओए की प्रतिनिधि ने हरियाणा राज्य में पूर्वव्यापी प्रभाव से डी-लाइसेंसिंग के मुद्दे पर प्रकाश डाला, जो घर खरीदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।</p> <p>इस संबंध में, श्री हितेश शर्मा, टीसीपीओ, हरियाणा सरकार ने सूचित किया कि हरियाणा राज्य में डी-लाइसेंसिंग पहले से ही थी और हालिया संशोधन केवल 'स्पष्टीकरण' प्रकृति का है।</p>

		<p>आर्थिक सलाहकार (आवास) ने एफएओए को मामले पर अपने पक्ष में पत्र भेजने की सलाह दी ताकि मंत्रालय इस मामले को हरियाणा राज्य सरकार के साथ उठा सके।</p> <p>आर्थिक सलाहकार (आवास) ने भी हरियाणा सरकार से मामले पर अपनी टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया।</p>
--	--	---

सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दा उठाएं।

3. श्री राजन बंदेलकर, अध्यक्ष, नारेडको ने निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया:

- i. देश भर में घर खरीदारों के बीच रेरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना,
- ii. कुछ निधि जमा करने के बाद घर खरीदारों के डिफॉल्ट होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी करने के लिए नियामक प्राधिकरणों को सशक्त बनाना,
- iii. राष्ट्रीय स्तर पर भू संपदा एजेंटों के प्रशिक्षण की आवश्यकता,
- iv. भू संपदा परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान कई राज्य स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप जो परियोजनाओं की समयोचित प्रगति को बाधित करता है।

इस संबंध में, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने उठाए गए मुद्दों से संबंधित विस्तृत टिप्पणी को अग्रेषित करने की सलाह दी।

4. श्री अभय उपाध्याय, अध्यक्ष, पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स फोरम (एफपीसीई) ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

- i. स्थानीय निकायों से बिना उचित पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए आवासीय सोसायटियों को आरडब्ल्यूए या एओए को सौंपना।
- ii. स्थानीय निकायों की बिना संशोधित स्वीकृति प्राप्त किए प्रमोटर द्वारा अवैध निर्माण।
- iii. नियामक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने के संबंध में समिति का गठन।

इस संबंध में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आगे की जांच के लिए उठाए गए मुद्दों से संबंधित अभ्यावेदन भेजने की सलाह दी।

इसके अलावा, श्री उपाध्याय द्वारा मानक वार्षिक रिपोर्ट और राज्यों द्वारा नियमों को शिथिल करने से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालने पर; आर्थिक सलाहकार (आवास) ने सूचित किया कि मंत्रालय एफपीसीई के साथ राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रारूप को साथ लगाकर विनियामक प्राधिकरणों को भेजे गए पत्रों को साझा करेगा।

आर्थिक सलाहकार (हाउसिंग) ने कहा कि दो अलग-अलग कॉन्क्लेव आयोजित किए जा सकते हैं, एक डेवलपर्स एसोसिएशन (नारेडको) द्वारा और दूसरा घर खरीददार एसोसिएशन (एफपीसीई) द्वारा, जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

5. श्री रवि वर्मा, अध्यक्ष एनएआर-इंडिया ने हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा ब्रोकरेज शुल्क को बिना किसी अधिकार क्षेत्र के केवल 0.5% तक सीमित करने के लिए हाल ही में पारित आदेश के मुद्दे पर प्रकाश डाला और इस संबंध में अध्यक्ष हरियाणा नियामक प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया गया है। इस संबंध में, आर्थिक सलाहकार (आवास) ने अभ्यावेदन की प्रति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को जांच के लिए भेजने की सलाह दी।

6. श्री एस.के. होता, अध्यक्ष, एमडी और सीईओ, नेशनल हाउसिंग बैंक ने कहा कि भारत सीओपी 26 का हस्ताक्षरकर्ता है और 2070 तक उत्सर्जन को घटाकर शुद्ध शून्य करने की सरकार की प्रतिबद्धता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। निर्माण क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% का योगदान देता है, इसलिए हरित प्रमाणन/भवन की रेटिंग के प्रति एक केंद्रित दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है। भले ही हाल के वर्षों में हरित प्रमाणित निर्माण ने गति प्राप्त की है, तथापि, यह मुख्य रूप से व्यावसायिक भवनों में है और आवासीय क्षेत्र में यह बहुत सीमित है। इस संदर्भ में, श्री होता ने हरित प्रमाणित आवासीय विकास में सभी वृद्धिशील निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों और नियामक प्राधिकरणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, साथ ही पर्याप्त मार्केटिंग, और कम जीवनचक्र लागत और हरित प्रमाणित घरों के लाभों के मद्देनजर घर खरीदारों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि घर खरीदारों के लिए रेटिंग्स को रेरा द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर भी एकीकृत किया जाए ताकि विकल्प चयन करते समय उनके पास पर्याप्त सूचना हो।

7. श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने निम्नलिखित संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला: (i) रेरा के तहत पारित आदेश के अनुपालन न करने से संबंधित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतें और आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता (ii) प्री-लिटिगेशन मैकेनिज्म के रूप में घर खरीददारों के लिए उपभोक्ता संरक्षण

प्राधिकरण की भूमिका (iii) घर खरीददारों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों/पुस्तिका के बारे में जागरूकता। आर्थिक सलाहकार (आवास) ने श्री माथुर से इस मामले पर एक पृष्ठ का सारांश पत्र भेजने का अनुरोध किया जिसे उप-समिति के सभी सदस्यों में परिचालित किया जाएगा।

8. एफएओए की प्रतिनिधि सुश्री रितु ने प्रमोटरों द्वारा प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र/व्यवसाय प्रमाण पत्र की जानकारी से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डाला। इस संबंध में, श्री पंकज कपूर, प्रबंध निदेशक, लाएसेसफोरास ने भी एफएओए के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मामलों का समर्थन किया और कहा कि निगरानी के लिए सभी नियामक प्राधिकरणों के डेटा के सेंट्रल रिपोजिटरी के माध्यम से एक प्रगामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और यह आर्थिक रूप से और केंद्रीय डैशबोर्ड होने में मदद करेगा। इस संबंध में, आर्थिक सलाहकार (आवास) ने श्री कपूर से इस पर एक टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया ताकि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे सभी राज्यों को परिचालित किया जा सके।

9. सचिव, उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकरण ने रेरा द्वारा पारित आदेशों का पालन न होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि रेरा में कुछ वसूली तंत्र को शामिल किया जा सकता है। आर्थिक सलाहकार (आवास) ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक संपन्न हुई।

2 नवंबर, 2022 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सीएसी के तहत गठित उप-समिति की पहली बैठक के प्रतिभागियों की सूची।

क्र. सं	नाम	पदनाम/संगठन का नाम	उपस्थिति [फिजिकली (उपस्थित) / वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)]
1.	श्री मनोज जोशी	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	उपस्थित
2.	श्री दिनेश कपिला	आर्थिक सलाहकार (आवास), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	उपस्थित
3.	श्री महेश कुमार एस	एसई (आवास), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	उपस्थित
4.	श्री शैलेश जोगियानी	अवर सचिव (आवास), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	उपस्थित
5.	सुश्री अंशिका गुप्ता	नीति आयोग	वीसी
6.	श्री आर.एस. ठाकुर	अपर सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	वीसी
7.	श्री विनीत माथुर	संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय	वीसी
8.	श्री राजवीर सिंह वर्मा	अपर सचिव, विधि कार्य विभाग	वीसी
9.	श्री एस.के. होता,	एमड एंड सीईओ, राष्ट्रीय आवास बैंक	उपस्थित
10.	श्री अक्षय सेन, संयुक्त महाप्रबंधक सुश्री शालिनी पाणिग्रही	सीएमडी, हडको	वीसी
11.	श्री रमेश चंद्र	सदस्य, रियल एस्टेट एनसीटी दिल्ली विनियामक प्राधिकरण	वीसी
12.	श्री ए के यादव	उप सचिव, दिल्ली सरकार	वीसी

13.	श्री राजेश त्यागी	सचिव, यूपी, रेरा	वीसी
14.	श्री देबाशीष सिंह	अपर सचिव (आवास), ओडिशा सरकार	वीसी
15.	श्री हितेश शर्मा	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार	वीसी
16.	श्री हितेश कुमार एस. मकवाना	अपर सचिव (आवास), तमिलनाडु सरकार	वीसी
17.	श्री जी एम हजारिका	सदस्य, असम रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	वीसी
18.	श्री राजन बंदेलकर, अध्यक्ष श्री आलोक गुप्ता, डीजीएम प्रीति सिंह, डीडीजी	नरेडको	उपस्थित
19.	श्री हर्षवर्धन पटोदिया, अध्यक्ष, क्रेडाई श्री विपिन कुमार सक्सेना, महानिदेशक श्री हरिकृष्ण भानूश्री, सीओओ	क्रेडाई	उपस्थित
20.	श्री अभय उपाध्याय	अध्यक्ष, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई)	वीसी
21.	सुश्री रितु	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एफएओए)	वीसी
22.	श्री रवि वर्मा	अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रीयलटर्स-इंडिया (एनएआर- इंडिया)	उपस्थित
23.	श्री पंकज कपूर	प्रबंध निदेशक, लियासेस फोरस, मुंबई	वीसी
